Power of C.P.F.C. to Transfer Officer

8668. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Ministry have taken the power of the Central Provident Fund Commissioner regarding transfer of the Regional Provident Fund Commissioner; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) and (b). According to Section 5D of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, the Central Government is the appointing authority in respect of the Regional Provident Fund Commissioners and certain other officers. In 1976, Government accepted a proposal made by the C.P.F.C. that the power to transfer Regional Commissioners be exercised by him. However, for administrative reasons, it was decided in 1978 that the transfer of Regional Commissioners will be made by Government and that the C.P.F.C. may make proposals to Government as and when he considers such transfers necessary.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर उपमार्ग का निर्माण करना

8669. श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटावा नगर से 3 किलोमीटर पूर्व में एक रेलवे पुल का निर्माण करके इटावा नगर (उत्तर प्रदेश) से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाना है; और

(ग) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) 1978-83 की आयोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए रखे गये परिव्यय और सम्पूर्ण भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आशा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में दिल्ली-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-आसनसोल-कलकत्ता रोड पर इटावा बाईपास के निर्माण का काम (जिस में टूंडला-कानपुर ब्रोड गेज रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने का काम शामिल है) योजना की अवधि में मंजूर कर दिया जाएगा। इस समय जैसी स्थिति है, साधनों की कमी होने के कारण बाईपासों के निर्माण को, जो मौजूदा सड़कों के स्थान पर होता है, कम प्राथमिकता दी जा रही है।

लोको रनिंग स्टाफ

8670. श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको रनिंग स्टाफ के कितने कर्मचारियों की सेवायें आपातस्थिति के दौरान समाप्त कर दी गई थीं; और

(ख) उन में से कितने कर्मचारी जनता सरकार ने बहाल कर दिये तथा अब तक बहाल न हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैतरणा रेलवे स्टेशन

8671. श्री लहानु शिडवा कोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में वैतरणा स्टेशन पर स्थानक का निर्माण कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वैतरणा स्टेशन पर एक छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था करने से है। इस स्टेशन पर रेल तल का 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल का एक छतदार प्लेटफार्म पहले ही मौजूद है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।